तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दिलीप आदि बनाम लीलूराम आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर – 45 / 2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.08.2021	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि रोही ग्राम शेखसर के हाल खसरा नम्बर 1257 / 603 तादादी तादादी 8.09 रकबा, खसरा नम्बर 608 तादादी 35.11 बीघा, खसरा नम्बर 607 तादादी 20.17 बीघा, खसरा संख्या 598 तादादी 44.08 बीघा, खसरा नम्बर 597 तादादी 49.10 बीघा बारानी में बोरवेल हैं। प्रार्थीगण के खातेदारी पुस्तैनी चली आ रही हैं। रिकॉर्ड में सरकारी आदेश अनुसार रास्ता नक्शा में नहीं दिखाया गया हैं। दिनांक 22.06.2020 को पटवारी हल्का एवं गिरदावर महोदय मौका की कार्यवाही करके ले गए हैं। रास्ता नहीं खुलवाया हैं। अन्यथा विकल्प के रूप में प्रार्थियान के लिए 601 सिवायचक तथा 604 / 2 अप्रार्थी 1,2 के पूर्वी सींव मे दक्षिण से उत्तर करीब 4 बीघा यानी 8 बिस्वा रकबा राज का मार्ग आवश्यक हैं। अतः निवदेन किया गया कि प्रार्थीयान के रोही शेखसर खसरा नम्बर 601 सिवायचक तथा 604 / 2 अप्रार्थी 1,2 के पूर्वी सींव में दक्षिण से उत्तर करीब 4 बीघा यानी 8 बिस्वा रकबा राज का मार्ग आवश्यक हैं। प्रार्थी न्यायालय के आदेशनुसार राशि अदा करने के लिए सहमत हैं। राज पैरोकार द्वारा जवाब में कहा गया की स्वीकृत किये जाने वाला रास्ता के सम्बन्ध में सरकार को कोई आपति नहीं हैं। तहसीलदार लूनकरनसर रिपोर्ट प्राप्त पत्रावली शामिल हैं। रिपोर्ट में ग्राम शेखसर से खोडाला जाने वाला रास्ता खसरा नम्बर 632 / 2, 606,604 / 1,604 / 2,601,605 की दक्षिणी सींव से होकर पश्चिम से पूर्व की तरफ कटानी हैं। खसरा नम्बर 601 के बीच एवं 604 / 2 की पूर्वी सीमा पर दक्षिण से उत्तर की तरफ कटान स्वीकृत किया जाना उचित है कि रिपोर्ट की गई हैं। हमने बहस का मनन किया । पत्रावली शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी गांव शेखसर संवत् 2073–76 एवं नकल नक्शा एवं तहसीलदार लूनकरनसर रिपोर्ट का अवलोकन किया । पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के सम्बन्ध में एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। उपरोक्त बहस एवं रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 601 के बीच एवं 604 / 2 की पूर्वी सीमा पर दक्षिण से उत्तर की तरफ रास्ता निकटतम हैं परन्तु उक्त रास्ता स्वीकृत पर खसरा नम्बर 601 के दो भाग हो रहे है जो उचित प्रतीत नहीं होते हैं। अतः उक्त रास्ता खसरा नम्बर 601 के पश्चिम सीमा से दक्षिण से उत्तर की ओर सींव के साथ तथा बाद में खसरा नम्बर 601 के उत्तर सीमा में सींवं के सहारे खसरा नम्बर 604 / 2 की पूर्वी सीमा तक नियमानुसार भूमि गणना पश्चात व शेष तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 604 / 2 में 110x2= 220 गठा = 0.11 बिस्वा भूमि गैमु रास्ता दर्ज होगी। गांव शेखसर के खसरा नम्बर 601 के सींव के पश्चिम तथा उत्तरी सीमा के [illegible] 604 / 2 की पूर्वी सीमा पर दक्षिण से उत्तर की तरफ रास्[illegible] [illegible]स्तुत बहस एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार [illegible] स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर [illegible] की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि [illegible] उक्त खातेदारी भूमि पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता नियमानुसार [illegible] गणना कर वर्तमान डीएलसी दर के दुगने भुगतान होने पर रिकॉर्ड [illegible] अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो । यह आदेश आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (आशीष कुमार) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 15:03:59 IST
Reason: SelfAttested